

23-6-2015

राजस्व लोक न्याय न्याय आपके  
द्वार के तहत उभय पक्षों के नोटिस  
जारी होने के बाद पत्रावली आज  
राजस्व लोक न्याय न्याय सेवा से  
गुणक कुण्डेर पर पेश हुयी। वादी का  
नोटिस बाद तारीख शाफिल पत्रावली से  
प्रतिवादीगण के नोटिस के नामक तहसीलदार  
कोठे उपस्थित। पेशकार सरकार के जवाब  
पेश किया। वादी को रक-१ कर बार-१  
भावाज लगाई गई। वादी को नोटिस के  
कोई भी उपस्थित नहीं है। पत्रावली ख



उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का शिक्का  
दिया गया। जवाब देने पर मन्त्र  
गण/ वादी ने दिनांक 14-6-75 को शिक्का की  
दुल प्रती पेश न कर काय प्रती पेश की  
है, जो पुदाखीर दस्तावेज नहीं है। वादी भी  
वाक्य सत्यता प्रकरण में पेशी हेतु उपस्थित  
नहीं हुआ है। इसके स्पष्ट हैं कि वादी  
अपने वाद को चलाना नहीं चाहता है।  
दस्तावेजों के अभाव में वाद वादी इसी  
स्टेज पर खारिज किया जाता है। पञ्जाबली  
जैल लक्ष्युगार होकर नम्बर रु रुन है तथा  
दफ्तर कार्रवाई है।

५